

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: एम. के. सिंह,
सदस्य.

प्रकरण क्रमांक निगरानी 848-एक/04 विरुद्ध आदेश दिनांक 25-6-2004
पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक रिव्यू
568/अ-90/2002-03.

- 1— बलवीर सिंह पुत्र स्व. मदन सिंह
- 2— राजासिंह पुत्र स्व. मदनसिंह
- 3— श्रीमती इन्द्रजीत कौर पुत्री स्व. मदन सिंह
- 4— श्रीमती मंजीत कौर पुत्री स्व. मदनसिंह
- 5— रंजीत कौर पुत्री स्व. मदनसिंह
- 6— सुरजीत कौर पुत्री स्व. मदनसिंह
- 7— श्रीमती कृष्णा संधु विधवा स्व. मदनसिंह
सभी निवासीगण मकान नं. 1203,
आधारताल वार्ड जबलपुर

— आवेदकगण

विरुद्ध

म0प्र0 शासन

— अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री डी. के. शुक्ला, अधिवक्ता, अनावेदक ।

.....
॥ आ दे श ॥

(आज दिनांक 1-9-2015 को पारित)

20यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक
रिव्यू 568/अ-90/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 25-6-2004 के विरुद्ध
म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के
तहत पेश की गई है ।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों के पूर्वज मदनलाल द्वारा
विचारण न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक
4682/2001 में पारित आदेश दिनांक 17-1-2002 के आधार पर आवेदन प्रस्तुत कर
प्रश्नाधीन भूमियों पर मदनसिंह वल्द भानसिंह का नाम यथावत दर्ज किये जाने का

अनुरोध किया गया जो सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिनांक 21.7.2003 द्वारा निरस्त किया ।

कलेक्टर (सक्षम प्राधिकारी)के आदेश के विरुद्ध आवेदकों द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष संहिता की धारा 44 के तहत अपील क्रमांक 568/अ-90/2002-03 पेश की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 16-9-03 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरुद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में ही पुनरावलोकन पेश किया जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश दिनांक 25-6-04 द्वारा निरस्त किया गया ।

अपर आयुक्त द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । इस निगरानी में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 27-7-04 को आदेश पारित किया जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये गये तथा तहसीलदार को आवेदकों का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर एक माह में दर्ज करने के आदेश दिए गए । राजस्व मंडल के उक्त आदेश के विरुद्ध अनावेदक शासन की ओर से इस न्यायालय में पुनरावलोकन प्रकरण 840-एक/12 पेश किया गया जिसमें तत्कालीन प्रशासन सदस्य ने दिनांक 5-9-2013 को आदेश पारित करते हुए पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया तथा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27-7-04 को पारित आदेश इस आधार पर निरस्त किया कि यह प्रकरण नगर भूमि सीमा अधिनियम के संबंध में है, जिसके तहत पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मंडल को नहीं है ।

राजस्व मंडल द्वारा पुनरावलोकन में पारित 5-9-13 के आदेश के विरुद्ध आवेदकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 805/2014 पेश की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27-10-2014 में यह आदेश पारित किया गया है कि चूंकि राजस्व मंडल द्वारा निगरानी क्रमांक 848-एक/04 में पारित आदेश को रिव्यू प्रकरण क्रमांक 840-एक/2012 में पारित आदेश दिनांक 5-9-13 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जिसके आलोक में आवेदकगण द्वारा वर्ष 2004 में प्रस्तुत निगरानी 848-एक/2004 पुनः विचाराधीन हो गई है । माननीय उच्च न्यायालय ने अपने उक्त आदेश में आवेदकों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि, वे समस्त तथ्यों एवं आधारों के साथ आदेश की प्रतिलिपि संलग्न कर राजस्व मंडल के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें । आवेदकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की प्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु लिया गया है ।

3/ दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये । आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि इस प्रकरण में राजस्व

मंडल को सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है इस संबंध में उनके द्वारा इस न्यायालय का ध्यान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 17560/2007 (म0प्र0 शासन बनाम श्रीमती मुन्नीबाई एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 24-3-2008 एवं इसी प्रकरण से संबंधित रिट अपील क्रमांक 547/2009 (म0प्र0 शासन बनाम श्रीमती मुन्नीबाई एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 12-12-2011 की ओर आकर्षित किया गया इन प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्य बिंदुओं के अलावा यह निर्धारित किया गया है कि " निचली राजस्व अदालतों द्वारा संदर्भित आदेश जब पारित किए गए थे उस दिनांक के पूर्व ही सीलिंग एकट, 1976 निरसित हो गया था, जिससे उक्त अधिकारी अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत कर रहे थे तथा अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में पदनाम में सक्षम प्राधिकारी सीलिंग एकट का उल्लेख कर देने स यह नहीं माना जायेगा कि उनके द्वारा सीलिंग एकट में निहित शक्तियों का प्रयोग किया गया था । उक्त आधार पर कहा गया कि वर्तमान प्रकरण में भी यही स्थिति है क्योंकि निरसन अधिनियम, 1999 अप्रैल 2000 से प्रभावशील हो गया था । अतः निरसन अधिनियम प्रभावशील होने के पश्चात पारित आदेश म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के तहत पारित किए गए माने जायेंगे ।

यह तर्क दिया गया कि अभिलेख से स्पष्ट है कि कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.7.03 एवं कमिशनर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.9.2003 निरसन अधिनियम, 1999 के अप्रैल 2000 में प्रभावशील होने के उपरांत पारित किए गए हैं, जिससे स्पष्ट है कि कलेक्टर एवं अपर आयक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश उनके द्वारा राजस्व न्यायालय की पदाधिकारिता के तहत पारित किए गए थे एवं सीलिंग एकट के किसी प्राधिकारी के रूप में पारित नहीं किए गए थे, इस प्रकार उक्त आदेश राजस्व आदेशों की परिधि में आते हैं । अतः राजस्व मंडल को इस प्रकरण में सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है । उक्त आधार पर कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27.7.2004 तथ्य सम्मत एवं विधि सम्मत आदेश है ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के गुणदोष पर यह तर्क दिया गया है कि प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश से स्पष्ट है कि दिनांक 31.5.2003 के तहसीलदार, नजूल के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार उक्त दिनांक तक अतिशेष घोषित भूमियों पर आवेदकगण का भैतिक एवं वास्तविक कब्जा था तथा म.प्र. शासन द्वारा उक्त भूमियों का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं किया गया था । यह भी कहा गया कि अर्बन एंड सीलिंग एकट,

1976 को अर्बन एंड सीलिंग एकट निरसन अधिनियम, 1999 द्वारा निरसित कर दिया गया था जिससे उक्त अर्बन लैण्ड सीलिंग एकट, 1976 अप्रैल 2000 से प्रभाव शून्य हो गया था । चूंकि निरसन अधिनियम 2000 अप्रैल से प्रभावशील हो गया जिससे स्पष्ट है कि अप्रैल 2000 से सीलिंग एकट के तहत की जाने वाली समस्त कार्यवाही शून्य हो गई थी जिनमें शासन द्वारा या तो भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया था या कि कब्जा प्राप्त भूमियों का मुआवजा वितरण संबंधी कार्यवाही लंबित थी । इसके अतिरिक्त अन्य समस्त कार्यवाहियां सीलिंग एकट निरसन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत प्रभाव शून्य हो गई थीं ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के गुणदोष पर यह तर्क दिया गया है कि प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश से स्पष्ट है कि दिनांक 31.5.2003 के तहसीलदार, नजूल के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार उक्त दिनांक तक अतिशेष घोषित भूमियों पर आवेदकगण का भैतिक एवं वास्तविक कब्जा था तथा म.प्र. शासन द्वारा उक्त भूमियों का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं किया गया था । यह भी कहा गया कि अर्बन एंड सीलिंग एकट, 1976 को अर्बन एंड सीलिंग एकट निरसन अधिनियम, 1999 द्वारा निरसित कर दिया गया था जिससे उक्त अर्बन लैण्ड सीलिंग एकट, 1976 अप्रैल 2000 से प्रभाव शून्य हो गया था । चूंकि निरसन अधिनियम 2000 अप्रैल से प्रभावशील हो गया जिससे स्पष्ट है कि अप्रैल 2000 से सीलिंग एकट के तहत की जाने वाली समस्त कार्यवाही शून्य हो गई थी जिनमें शासन द्वारा या तो भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया था या कि कब्जा प्राप्त भूमियों का मुआवजा वितरण संबंधी कार्यवाही लंबित थी । इसके अतिरिक्त अन्य समस्त कार्यवाहियां सीलिंग एकट निरसन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत प्रभाव शून्य हो गई थीं ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक की ओर से उद्धरित माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जिसके आधार पर आवेदक ने राजस्व मंडल को इस प्रकरण की सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार होना बताया है इसके विपरीत कोई विधिसम्मत तर्क या अन्य न्यायिक निर्णय प्रस्तुत नहीं किया गया । उनके द्वारा यह कहा गया कि प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के जो निर्णय हैं वे विधिसम्मत हैं और उन्हें स्थिर रखा जाना चाहिए ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांतों का परिशीलन किया । जहां तक इस प्रकरण में राजस्व मंडल को सुनवाई की अधिकारिता का प्रश्न है, आवेदक की ओर से उद्धरित प्रकरण विविध याचिका क्रमांक 17560/2007 (म0प्र0 शासन बनाम श्रीमती मुन्नीबाई एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 24-3-2008 अवलोकनीय है । इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्य बिंदुओं के अलावा यह अभि-निर्धारित किया गया है :—

” निचली राजस्व अदालतों द्वारा संदर्भित आदेश जब पारित किए गए थे उस दिनांक के पूर्व ही सीलिंग एकट, 1976 निरसित हो गया था, जिससे उक्त अधिकारी अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत कर रहे थे ना कि अर्बन एंड सीलिंग एकट, 1976 के तहत तथा अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में पदनाम में सक्षम प्राधिकारी सीलिंग एकट का उल्लेख कर देने से यह नहीं माना जायेगा कि उनके द्वारा सीलिंग एकट में निहित शक्तियों का प्रयोग किया गया था । उक्त निर्णय की पुष्टि रिट अपील क्रमांक 547/2009 (म0प्र0 शासन बनाम श्रीमती मुन्नीबाई एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 12-12-2011 की की गई है ।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त प्रकरण के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के पूर्णतः समान है । उद्धरित प्रकरण में अपर आयुक्त एवं कलेक्टर द्वारा आदेश अर्बन एंड सीलिंग निरसन अधिनियम, 1999 प्रभावशील होने के उपरांत पारित किए गए थे और वर्तमान प्रकरण में भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश अर्बन एंड सीलिंग निरसन अधिनियम, 1999 जो अप्रैल 2000 से प्रभावशील हुआ है के उपरांत अर्थात् वर्ष 2003 में पारित किए गए हैं । इस कारण उक्त आदेश अर्बन एंड सीलिंग एकट, 1976 के तहत पारित किए गए नहीं माने जायेंगे बल्कि वे म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के अधीन पारित किये गये माने जायेंगे । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में राजस्व मंडल को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है ।

6/ जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों तथा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 31.5.2003 से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियों में से कुछ भूमि मदनलाल द्वारा अन्य समाज के हित में दान करदी थीं और उस पर गुरुद्वारा, श्री सार्वनाथ मंदिर, गिरिजा घर, शंकर मंदिर, नव ग्रहों का मंदिर निर्मित था तथा शेष भूमि पर उक्त दिनांक को आवेदकगण

का भौतिक आधिपत्य एवं वास्तविक कब्जा था इससे आवेदक के इस तर्क में बल है कि शासन द्वारा उक्त भूमियों का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा दिनांक 31.3.98 को प्राप्त नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 4682/2001 में पारित आदेश दिनांक 17-1-2002 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया था, स्वीकार योग्य था, जिसे निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है और अपर आयुक्त द्वारा भी कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अवैधानिकता की गई है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण हैं जिन्हें इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.7.2004 द्वारा निरस्त कर तहसीलदार को आवेदकों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश में देने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-7-03 एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-9-03 एवं 25-6-04 न्यायिक एवं विधिसम्मत न होने से निरस्त किए जाते हैं। तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे आदेश प्राप्ति से एक माह के अंदर आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें।



(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर